



# दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)-491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र. 1446 / अका. / का.प. / 2018

दुर्ग, दिनांक : 08/01/2018

## // अधिसूचना //


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के कार्यपरिषद का गठन किया जाता है-

दिनांक : 08-01-2018 की स्थिति में

अधिनियम एवं प्रावधान		नाम एवं पता	कार्यावधि
धारा 23(1) एक	कुलपति	डॉ. एन.पी.दीक्षित दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)	पदेन
धारा 23(1) (i-a)	रेक्टर	-रिक्त- (पद स्वीकृत नहीं)	पदेन
धारा 23(1) दो	संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नामांकित किये जायेंगे।	-रिक्त-	-रिक्त-
धारा 23(2-अ)	राज्य विधानसभा द्वारा मनोनीत राज्य विधान मण्डल के पांच सदस्य	श्री विद्यारतन भसीन, एम.आई.जी.-19, वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) मोबाईल:-098261-54999	छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-3/2017/38-2, दिनांक 04/01/2018  (आदेश जारी तिथि से 3 वर्ष तक या पदस्थ तिथि तक) जो भी पहले हो।
		श्री राजमहंत सांवलाम राम डाहरे हिन्दी भवन, सड़क नं.-3, प्रगतिनगर, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) मोबाईल:-094241-15046	
		श्री अवधेश सिंह चंदेल, ग्राम-रेवे, पोस्ट-पतौरा, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) मोबाईल:-094252-47025	
		श्री अरुण वारा, सीनियर एम.आई.जी.-38, पद्मनाभपुर दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) मोबाईल:-094255-65100	
		श्री भैयाराम सिन्हा बाजार चौक, गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) मोबाईल:-094252-41633	
धारा 23(1) चार	विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामांकित किये जायेंगे।	-रिक्त- (विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग स्थापित नहीं)	-रिक्त-

अधिनियम एवं प्रावधान		नाम एवं पता	कार्यावधि
धारा 23(1) पांच	संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य शासन के हो, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामांकित किये जायेंगे।	डॉ. व्ही.के.गोयल (प्राचार्य) डॉ. के.सी.बी.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	कुलाधिपति महोदय के आदेश क्रमांक एफ 4-4/2017/रास/यू.-13 दिनांक 17/08/2017  (आदेश जारी तिथि से 3 वर्ष तक या संस्था में पदस्थ तिथि तक) जो भी पहले हो।
		डॉ. राधा पाण्डे (प्राचार्य) (स्थानांतरित) डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	
		प्रो.सी.के चन्द्राकर (प्राचार्य) संत राजाराम शदाणी नागरिक महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा, बालोद (छ.ग.)	
		डॉ. पद्मा अग्रवाल (प्राचार्य) मनसा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)	
धारा 23(1) छः	सचिव, छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।	डॉ. डी.एन. वर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) मोबाईल:- 98930-68773	छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग क्रमांक 890/597/2017/38-2 दिनांक 15/03/2017
धारा 23(1) सात	सचिव, छ. ग. शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।	कोषालय अधिकारी जिला कोषालय, दुर्ग (छ.ग.)	छ.ग. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 577/F-01002823/ब-4/चार, दिनांक 26/07/2017
धारा 23(1) आठ	ऐसे दो व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामांकित किये गये हो।	श्री अशोक लोहिया, स्नातक (वाणिज्य एवं विधि) व्यवसायी एवं समाजिक कार्यकर्ता, चन्द्रा कॉलोनी, होटल सबरस के पीछे, राजनांदगांव (छ.ग.)	कुलाधिपति महोदय के आदेश क्रमांक एफ 4-3/2017/रास/यू.-13, दिनांक 17/08/2017 (आदेश जारी तिथि से 3 वर्ष तक)
		डॉ. प्रशांत श्रीधर बोकारे (प्राचार्य) (एम.ई., पी.एच.डी) आर. एस. आर. रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	
धारा 23(1) नौ	कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन के सिफारिश पर कुल तीन सदस्य, जिसमें से एक कृषि, उद्योग अथवा वाणिज्य का प्रतिनिधि, एक शैक्षणिक क्षेत्र का प्रतिनिधि, एक व्यक्ति सेवा क्षेत्र से होगा।	-रिक्त-	-रिक्त-
		-रिक्त-	-रिक्त-
		-रिक्त-	-रिक्त-

आदेशानुसार

  
कुलसचिव  
दुर्ग विश्वविद्यालय,  
दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. विशेष सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
4. कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यगण।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहा., दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
7. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
8. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
9. उप-कुलसचिव, परीक्षा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
10. स्थापना विभाग, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
11. लेखा विभाग, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
12. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
13. सम्पादक, समस्त स्थानीय समाचार पत्रों की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।

  
उप कुलसचिव (अका.)  
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)